

पुतिदिपि आदेशा दिनांक 25-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे
सदरूप राज स्व मण्डल मण्डल गवालियर पृष्ठ 4559-तीन/14
विरुद्ध आदेशा दिनांक 11-11-15 पारित द्वारा अर आयुक्त सागर
सभाग सागर पृष्ठ 819/20, 12-13.

बाबादीन पुत्र लक्ष्मल अहिरवार

निवासी मौराहा तहसील व जिला

उत्तरपुर मण्डल

विरुद्ध

--- आवेदक

1- मण्डल शासन द्वारा कलेक्टर उत्तरपुर

2- श्रीमान तहसीलदार उत्तरपुर मण्डल -- अनावेदक


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4359-तीन/2014

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-2014	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के०के० द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 25-8-2014 को उपस्थित होकर एक आवेदन प्रकरण को आगे संचालित न कर इसी स्तर पर समाप्त किये जाने बातव पेश किया। यह प्रकरण आवेदक बाबादीन पुत्र लछमल अहिरवार निवासी ग्राम मौराहा द्वारा म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर एवं तहसीलदार छतरपुर को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाकर इसय न्यायालय में निगरानी पेश की गई थी। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 819/अ-20(1)/2012-13 में पारित ओश दिनांक 114-11-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। आवेदक अभिभाषक द्वारा आज यह निगरानी आगे संचालित नहीं करने एवं इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	